

॥भारत के राजपत्र भाग 2 खण्ड 3॥1॥ में प्रकाशनार्थ ॥  
संख्या 39016/10/79-स्थापना॥ग॥  
भारत सरकार

गृह मंत्रालय  
कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 15 दिसम्बर, 1979

अधिसूचना

राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सिविल सेवाओं और पदों पर भूतपूर्व सैनिकों की भर्ती को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ-

॥1॥ इन नियमों का नाम भूतपूर्व सैनिक केन्द्रीय सिविल सेवा और पद पुनर्नियोजन नियम, 1979 है।

॥2॥ ये 1 जुलाई, 1979 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।

2- परिभाषाएं- इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-

॥क॥ "संघ के सशस्त्र बल" से, संघ के नौ सेना, स्थल सेना और वायु सेना बल अभिप्रेत हैं;

॥ख॥ "निःशक्त भूतपूर्व सैनिक" से, ऐसा भूतपूर्व सैनिक अभिप्रेत है, जो संघ के सशस्त्र बलों में सेवा करते हुए, शत्रु के विरुद्ध संक्रियाओं में या उपद्रवग्रस्त क्षेत्रों में निशक्त हुआ है;

॥ग॥ "भूतपूर्व सैनिक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसने संघ के सशस्त्र बलों में, जिनके अन्तर्गत भूतपूर्व भारतीय राज्यों के सशस्त्र बल भी हैं, किन्तु जिनके अन्तर्गत आसाम राइफल्स, सेना सुरक्षा कोर, जनरल रिजर्व इंजीनियरी बल, लोक सहायक सेना और प्रादेशिक सेना नहीं हैं, शपथ ग्रहण के पश्चात् कम से कम छह मास की निरन्तर अवधि तक किसी रैंक में ॥चाहे योद्धक के रूप में या अयोद्धक के रूप में॥ सेवा की है, और

॥1॥ जिसे स्वानुरोध पर या अवचार अथवा अदक्षता के कारण पदच्युति या सेवान्मुक्ति के कारण से अन्यथा किसी रूप में निर्मुक्त कर दिया गया है, अथवा ऐसे निर्वाचन तक के लिए रिजर्व को स्थानान्तरित कर दिया गया है, या

॥2॥ जिसे यथा पूर्वोक्त निर्मुक्त या रिजर्व को स्थानान्तरित किए जाने के लिए हकदार बनने के लिए अपेक्षित सेवा की अवधि पूरी करने के लिए अधिक से अधिक छह मास सेवा करनी है; या

18

§1111§ जिसे संघ के सशस्त्र बलों में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर लेने के पश्चात् स्वानुरोध पर निर्मुक्त कर दिया गया है;

§1112§ "पैरा-सैन्य बल" से, सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सचिवालय सुरक्षा बल, आसाम राइफल्स और रेल सुरक्षा बल अभिप्रेत हैं;

§1113§ "आरक्षित रिक्तियों" से, भूतपूर्व सैनिकों में से भरी जाने के लिए नियम 4 के अधीन आरक्षित रिक्तियाँ अभिप्रेत हैं ।

3- लागू होना-ये नियम समूह "ग" और समूह "घ" की सभी केन्द्रीय सिविल सेवाओं और पदों तथा सभी पैरा-सैन्य बलों में सहायक कमान्डेन्ट के स्तर के पदों को लागू होंगे ।

4- रिक्तियों का आरक्षण-§1। सभी पैरा-सैन्य बलों में सहायक कमान्डेन्ट के स्तर के पदों में रिक्तियाँ का दस प्रतिशत; "समूह-ग" पदों के और प्रत्येक समूह "ग" सेवा के पदों के प्रत्येक प्रवर्ग में रिक्तियों का दस प्रतिशत; और समूह "घ" पदों के और प्रत्येक समूह "घ" सेवा के पदों के प्रत्येक प्रवर्ग में रिक्तियों का, जिनके अन्तर्गत किसी वर्ष में सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली अस्थायी आधार पर आरम्भ में भरी गई स्थायी रिक्तियाँ और ऐसी अस्थायी रिक्तियाँ भी हैं जिनके स्थायी किए जाने की संभावना है या जिनके तीन मास और उससे अधिक समय तक बने रहने की संभावना है, बीस प्रतिशत भूतपूर्व सैनिकों द्वारा भरे जाने के लिए आरक्षित रखा जाएगा :

परन्तु पदों के किसी प्रवर्ग में भूतपूर्व सैनिकों के लिए इस प्रकार विनिर्दिष्ट आरक्षण के प्रतिशत में, किसी भर्ती-वर्ष में वहाँ तक वृद्धि या कमी कर दी जाएगी, जहाँ तक वह भूतपूर्व सैनिकों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों/§1। इसके अन्तर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए अग्रणी आरक्षण भी हैं और किन्हीं अन्य प्रवर्गों के लिए, कुल मिलाकर, उस वर्ष में भरे गए पदों के उस प्रवर्ग में रिक्तियों के पचास प्रतिशत से, यथास्थिति, कम या अधिक है :

परन्तु यह और कि पूर्ववर्ती परन्तुक के अधीन भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण में वृद्धि की दशा में, उनके लिए इस प्रकार उपलब्ध की गई अतिरिक्त रिक्तियाँ का उपयोग प्रथमतः निःशक्त भूतपूर्व सैनिकों की नियुक्ति के लिए किया जाएगा और यदि तत्पश्चात् कोई ऐसी रिक्ति भरना शोध रह जाती है तो वह अन्य भूतपूर्व सैनिकों को उपलब्ध कराई जाएगी ।

§2§ भूतपूर्व सैनिकों द्वारा भरी जाने के लिए आरक्षित रिक्तियों में से, रिक्तियाँ, ऐसे आदेशों के अनुसार, जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर इस निमित्त जारी करें, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाएगी :

परन्तु यदि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का कोई भूतपूर्व सैनिक चुन लिया जाता है तो उसके चयन की गणना आरक्षण के ऐसे सम्पूर्ण जोटा के प्रति की जाएगी, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए उपबन्धित किया जाए ।

§3§ युवा प्रतियोगी परीक्षा के परिणाम के आधार पर से अन्यथा भरे जाने वाले पद पर भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित कोई रिक्ति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किसी साधारण अभ्यर्थी की नियुक्ति करके तब तक नहीं भरी जाएगी, जब तक उक्त प्राधिकारी ने,-

- §i§ रोजगार कार्यालय से यदि कोई अध्ययन किंवा रोजगार कार्यालय को भेजी जानी है § "अनुपलभ्यता प्रमाणपत्र" अभिप्राप्त नहीं कर लिया है;
- §ii§ पुनर्वासि माहनिदेशक को निर्देश करके उपयुक्त अभ्यर्थी की अनुपलभ्यता सत्यपित नहीं कर दी है और उस तथ्य का प्रमाणपत्र अभिलिखित नहीं कर दिया है; और
- §iii§ केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन अभिप्राप्त नहीं कर लिया है ।

5- आयु सीमा के संबंध में विशेष उपबंध-केन्द्रीय सिविल सेवा समूह "ग" और समूह "घ" में की किसी रिक्ति पर, चाहे वह इन नियमों के अधीन आरक्षित है या नहीं, नियुक्ति के लिए, प्रत्येक ऐसे भूतपूर्व सैनिक को, जिसने संघ के सशस्त्र बलों में कम से कम छः मास निरन्तर सेवा कर ली है, अपनी वास्तविक आयु में से ऐसी सेवा की अवधि घटाने की अनुज्ञा दी जाएगी और यदि परिणामिक आयु, उस पद या सेवा के लिए जिसके लिए वह नियुक्ति चाहता है, विहित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक नहीं होती है तो, यह समझा जाएगा कि वह आयु-सीमा संबंधी शर्त की पूर्ति करता है ।

6- शैक्षिक अर्हताओं के संबंध में विशेष उपबंध-

§1§ समूह "घ" पदों पर किसी आरक्षित रिक्ति में नियुक्ति के लिए ऐसे प्रत्येक भूतपूर्व सैनिक को, जिसने संघ के सशस्त्र बलों में कम से कम तीन वर्ष सेवा कर ली है, ऐसे पदों की वास्तविक विहित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता से, यदि कोई है, छूट दी जाएगी ।

§2§ समूह "ग" पदों पर किसी आरक्षित रिक्ति में नियुक्ति के लिए नियुक्ति प्राधिकारी, स्वविवेक से, न्यूनतम शैक्षिक अर्हता को ऐसे भूतपूर्व सैनिकों के हक में, जिन्होंने संघ के सशस्त्र बलों में कम से कम तीन वर्ष सेवा कर ली है और जिन्हें उनके अनुभव और अर्हताओं की दृष्टि से ऐसे पदों पर नियुक्ति के लिए अन्यथा योग्य और उपयुक्त समझा जाता है,

वहाँ स्थित कर सकेगा; जहाँ विहित ऐसी अर्हता मिडिल स्कूल परीक्षा या कोई निम्नतर परीक्षा उत्तीर्ण नियत की गई है।

§3§ भागतः सीधी भर्ती द्वारा और भागतः प्रोन्नति या स्थानान्तरण द्वारा भरे जाने वाले समूह "ग" पदों में की किसी आरक्षित रिक्ति में नियुक्ति के लिए, जहाँ सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए विहित न्यूनतम शैक्षिक या तकनीकी अर्हता, प्रोन्नत व्यक्तियों या अन्तरित व्यक्तियों के लिए विहित अर्हता के उच्चतर है, वहाँ किसी भूतपूर्व सैनिक के बारे में यह तभी समझा जाएगा कि वह विहित शैक्षिक या तकनीकी अर्हता की पूर्ति करता है, जब वह,-

§1§ उस पद पर, जिससे प्रश्नगत पद पर प्रोन्नति या स्थानान्तरण अनुज्ञात किया जाता है, सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक या तकनीकी अर्हता की पूर्ति करता है, और

§11§ प्रोन्नत व्यक्तियों या अन्तरित व्यक्ति के लिए यथा विहित विधा शाखा में और संघ के सशस्त्र बलों में उतने ही वर्षों का अनुभव रखता है।

स्पष्टीकरण- इस नियम के प्रयोजनों के लिए तीन वर्ष की सेवा अवधि की संगणना करने में, सेवा की कोई ऐसी अवधि, जिसके दौरान किसी भूतपूर्व सैनिक ने किसी सिविल विभाग, या किसी पब्लिक सेक्टर उपक्रम या किसी स्वशासी संगठन में, चाहे वह केन्द्रीय सरकार के अधीन है या चाहे किसी राज्य सरकार के अधीन, या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सेवा की है, संघ के सशस्त्र बलों में की गई सेवा अवधि में जोड़ी जाएगी।

7- भर्ती नियमों का संशोधन-केन्द्रीय सरकार के अधीन समूह "ग" और समूह "घ" पदों और सेवाओं में व्यक्तियों की भर्ती को विनियमित करने वाले सभी नियम, इन नियमों के उपबन्धों के अधीन होंगे और तदनुसार ही उनका अर्थ लगाया जाएगा।

8- निर्वाचन- यदि इन नियमों के निर्वाचन के बारे में कोई प्रश्न उठता है, तो उस प्रश्न का विनिश्चय केन्द्रीय सरकार करेगी।

ह0/-

§आर०सी० गुप्त§  
उप सचिव, भारत सरकार

भूतपूर्व सैनिकों केन्द्रीय सिविल सेवा और पद पुनर्नियोजन  
नियम, 1979 से संबंधित व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

---

भूतपूर्व सैनिकों केन्द्रीय सिविल सेवा और पद, श्रेणी-III और श्रेणी-IV में रिक्तियों का आरक्षण नियम, 1974 के अधीन, केन्द्रीय सिविल सेवा और पद, श्रेणी-III और श्रेणी-IV में सीधी भर्तियाँ द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण उपलब्ध थे । ये नियम दिनांक पहली जुलाई, 1979 से लागू नहीं रहे । चूंकि भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्नियोजन की समस्या स्थायी राहस्या है, इसलिए यह निर्णय किया गया है कि भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्नियोजन के लिए उन्हें स्थायी आधार पर सिविल रोजगार में कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं । वर्तमान नियम बनाए जाने में भूतपूर्व सैनिकों केन्द्रीय सिविल सेवा और पद, श्रेणी-III और श्रेणी-IV में रिक्तियों का आरक्षण नियम, 1974 के उपबन्धों और नियमों की नामावली में परिवर्तन सहित उन नियमों में परिवर्तनों के संबंध में भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्नियोजन से संबंधित अधिकारियों के कार्यालय की सिफारिशों के आधार पर लिए गए निर्णयों को भी ध्यान में रखा गया है । इन नियमों के बनाए जाने से किसी भी व्यक्ति के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

---